रजिस्टर्ड सं० पी०/एम० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 23 मार्च, 1987/2 चैत्र, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 9 मार्च, 1987

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 93/86.—क्योंकि ग्राम पंचायत सोरता, विकास खण्ड करसोग ने अपने प्रस्ताव संख्या 2, दिनांक 21-11-86 में यह पारित किया है कि श्री ठाकरू राम, पंच, वार्ड नं० 1, 21-4-86 से 21-11-86 तक लगातार पंचायत की मासिक बैठकों से बिना कारण अनुपस्थित रहे हैं।

उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), मंडी को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते है । वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश मण्डी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे ।

शिमला-2, 9 मार्च, 1987

संख्या पी० सी० एच-एच० ए० (5) 92/86.—क्योंकि ग्राम पंचायत वरधाण, विकास खण्ड द्रंग ने अपने प्रस्ताव संख्या 11, दिनांक 8-1-87 में यह सूचित किया है कि श्री भादर सिंह, पंच, वार्ड नं० 4 ग्राम पंचायत द्रंग, दिनांक 15-3-85 से पंचायत की बैठकों से लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं ।

क्योंकि उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तगत विकास खण्ड अधिकारी, ढंग को जांच अधिकारी, नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं । वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश मण्डी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे ।

हस्ताक्षरित/-
उप-सचिव ।

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जनवरी, 1987

संख्या रैव0 ए0 (ए0) 3-1/82-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश जिला अधीनस्थ सेवा (तृतीय वर्ग) नियम, 1979, जिन्हें इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2-60/72 रैव0-I. दिनांक 18-8-1979 द्वारा अधिसूचित किया गया था, में संलग्न उपाबन्ध (अनैक्शर 'ए") के अनुसार संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "हिमाचल प्रदेश जिला अधीनस्थ सेवा (तृतीय वर्ग) द्वितीय संशोधन) नियम, 1987" होगा ।

(2) ये इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त-एवं-सचिव ।

ANNEXURE "A"

Rule No./ Column No.	Existing provision	Revised provision
1	2	3
Rule 8	Recruitment to the posts of Superintendent, Head Vernacular Clerk/ Asstt. Supdt. Revenue shall be made by the following method:—	*Superintendent Grade-II.*—(*a*) On the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst the Superintendents Grade-IV, having 3 years regular or *ad hoc* (rendered upto 31-12-1983) service, under the respective Division.
	(a) to the post of Supdt. on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst:—	
	(*i*) Head Vernacular Clerk/ Asstt. Supdt. Revenue; and (*ii*) Permanent Assistants/Accountants/Stenographers in all offices of Deputy Commissioners under the respective Division.	

1	2	3
	For the purpose of appointment, two separate seniority lists of Head Vernacular Clerks (Asstt. Supdt. Revenue) and Asstts./Accountants/Stenographers of the respective Division shall be prepared according to the date of regular appointment in their respective grades. The representation to both the aforesaid categories will be as per previous practice;	
	(*b*) to the posts of Head Vernacular Clerks/Assistant Supdts. Revenue, on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst:—	*Superintendent Grade-IV.*—(*b*) On the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst the permanent Asstts. Accountants/Stenographers in all the offices of the Deputy Commissioners under the respective Division, having put in 4 years regular or *ad-hoc* (rendered up to 31-12-1983) service in their respective grade will be prepared from the dates of their regular appointments as Asstts./Accountants/Stenographers.
	Permanent Assistants/Accountants/Stenographers in all offices of the Deputy Commissioners under the respective Divisions. Their joint seniority will be prepared for the date of their regular appointments as Asstts./Accountants/ Stenographers.	

Rule No./ Column No.	Existing provision			Revised provision		
Below proviso (iv) of Rule 9	Lower grade	Higher grade	Time limit	Lower grade	Higher grade	Time limit
Category (c)	Asstt./ Accountant/ Stenographer.	to Head Vernacular Clerk/ Asstt. Supdt. Revenue.	4 years	Asstts./Accountants/Stenographers.	Supdt. Grade-IV	4 years.
Category (d)	Asstt./ Accountant/ Stenographer.	to Superintendents.	8 years.	Deleted.		
Category (e)	Head Vernacular Clerk.	to Superintendent.	4 years	Supdt. Grade-IV	Supdt. Grade-II	3 years.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 3 फरवरी, 1987

संख्या पी सी एच-एच ए (5) 47/86.--इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 8 जनवरी, 1987 के अधिलग्न में।

क्योंकि श्री रणजीत सिंह, पंच, ग्राम पंचायत सहेली, विकास खण्ड रिवालसर, जिला मण्डी पर ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों में दिनांक 20-7-86 से लगातार अनुपस्थित रहने का आरोप है।

क्योंकि आरोप की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवाना आवश्यक है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री रणजीत सिंह, पंच, ग्राम पंचायत सहेली, विकास खण्ड रिवालसर के विरुद्ध लगे आरोप की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत विकास खण्ड अधिकारी, रिवालसर को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वे अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश मण्डी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रषित करेंगे।

शिमला-2, 3 फरवरी, 1987

संख्या पी सी एच-एच ए (5) 218/76.-- क्योंकि श्री गंगा सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत तरांडा, तहसील निचार जिला किन्नौर ने 18-4-86 से मु0 7870.20 रुपये नकद शेष अपने पास रखे हैं तथा मु0 1218.73 रुपये का स्पष्ट गबन किया है;

क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (डी0) के अन्तर्गत उक्त प्रधान के लग आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए जांच सब-डिविजनल आफिसर, निचार से करवाने के बाद जांच अधिकारी इप निष्कर्ष पर पहुचे हैं कि प्रधान श्री गंगा सिंह ने उपरोक्त राशि का गबन किया है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने का सहर्ष आदेश देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तरांडा के प्रधान पद से निष्कासित किया जाए। आपका उत्तर इस नोटिस के 15 दिनों के भीतर-2 जिलाधीश किन्नौर के माध्यम से इस कार्यालय को पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप अपने पक्ष में कुछ कहना नहीं चाहते।

शिमला-2, 3 फरवरी 1987

संख्या पी सी एच-एच ए (5) 12/80.--क्योंकि ग्राम पंचायत कोठी, तहसील धुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने अपने नकल प्रस्ताव सं0 3 दिनांक 21-10-86 को सर्वसम्मति से यह पारित किया है कि श्री थोला राम, पंच दिनांक 8-4-86 से 21-10-86 तक की बैठकों में भाग नहीं ले रहा है जबकि पंचायत की बैठक एक माह में दो बार होती है;

अतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (सी) के अन्तर्गत विकास खण्ड अधिकारी, धुमारवीं को उपरोक्त तथ्य की पुष्टि के लिए जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वे अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे ।

हस्ताक्षरित/-
उप-सचिव ।

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 दिसम्बर, 1986

संख्या उद्योग-II (छ) 7-25/86.—ऐसा अनुभव किया गया है कि जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में खनिजों के खदान की लापरवाह और अत्यधिक बढ़ौतरी हो गई है, जिससे पहाड़ी भूढाल स्थिरता को खतरा हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के वातावरण का अनुक्रमणीय अपकर्ष और परिस्थिति पद्धति उलट ही सकती है, यह भी आवश्यक हो गया है कि गुणवत्ता और मात्रा, आस पास के क्षेत्रों में भू-विज्ञान निर्माण और संरचना, क्षेत्र के भू-आकृति विज्ञान और क्षेत्र में भू-उपयोग पैटर्न जो कि क्षेत्र से खनिजों के हटाए जाने के पश्चात रखा जा सकता है, के लिए भण्डार के परीक्षण के लिए विस्तृत अध्ययन किया जाए ।

अतः अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मिनरल कनसैशन रूल्ज, 1960 के नियम 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सारे क्षेत्र को 5 दिसम्बर, 1986 से सरकार द्वारा समनुपयोजन के लिए आरक्षित करते हैं, सिवाय उन क्षेत्रों के जो पहले ही खनन पट्टे/पूर्वेक्षित अनुज्ञप्ति के लिए मंजूर किए जा चुके हैं ।

तथापि 5 दिसम्बर, 1986 तक प्राप्त और लम्बित आवेदन-पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा ।

आदेश द्वारा,
ओ० पी० यादव,
सचिव ।

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th December, 1986

No. Udyog(Chh) 7-25/86.—Whereas it is felt that there has been haphazard and excessive growth of mining of minerals in District Sirmaur, H. P. causing the danger of disturbances to the stability of hill slopes resulting irreversible degradation of environment and upset the eco-system of area; and

Whereas it is found imperative that detailed studies are undertaken for proving the deposits for the quality and quantity, geological formations and structure in surrounding areas, physiography of the area and the land use pattern of the area which can be put after the mineral is removed from the area; and

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 58 of the Mineral Concession Rules, 1960, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to reserve entire area comprised in District Sirmaur of Himachal Pradesh, except the area already granted for Mining Lease/Prospecting Licence, for exploitation by the Government, with effect from 5th December, 1986.

However, the applications filed and pending as on 5-12-1986 will be decided on merits.

By order,
O. P. YADAVA,
Commissioner-cum-*Secretary*.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।